उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या–465/सेक–2–पांच–14–7(255)/2013
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पांच–14–7(255)/2013, दिनांक 13.01.2014 द्वारा प्रकिया एवं शर्तें निर्गत की गयी हैं।

2– उक्त शासनादेश द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के संबंध में जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को देखते हुए जनपदवार/विशेषज्ञतावार आवश्यकता का निर्धारण किये जाने, अर्हता का मानक व इस हेतु चेक लिस्ट का निर्धारण किये जाने, आवेदन–पत्र का प्रारूप निर्धारित किये जाने एवं समाचार–पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप निर्धारित किये जाने हेतु निम्नवत् एक उप स्क्रीनिंग कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1)	विशेष सचिव (डा0 काजल), उ0प्र0 शासन	–	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त निदेशक (कार्मिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ	–	सदस्य
(3)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ	–	सदस्य
(4)	मिशन निदेशक (एन0आर0एच0एम0) द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(5)	प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ	–	सदस्य

अरविन्द कुमार द्विवेदी
सचिव।

पृ0सं0–465 (1)/सेक–2–पॉच–13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
2– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
5– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
7– निजी सचिव, विशेष सचिव (डा0 काजल), उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8– संबंधित सदस्यगण।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव